न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारी श्रीमति सुनिता यादव, आर0ए0एस0

प्रकरण संख्या – 410 / 2022

उनवान

भंवरसिंह पिता भेरू सिंह राजपूत निवासी नोगांवा तहसील शाहपुरा

– प्रार्थी

बनाम

1– कानसिंह पुत्र भेरू सिंह राजपूत निवासी नोगांवा तहसील शाहपुरा
2– मोहन सिंह पिता नन्दसिंह राजपूत निवासी नोगंवा तहसील शाहपुरा
3– देवकिशन पिता नाना गुर्जर निवासी नोगांवा तहसील शाहपुरा
4– नारायणसिंह पिता डूंगरसिंह राजपूत निवासी नोगंवा तहसील शाहपुर
5– भेरू पिता सोराम गूर्जर निवासी नोगंवा तहसील शाहपुर
6– रामा पिता जुवारा गूर्जर निवासी नोगंवा तहसील शाहपुर
7– गोपाल पिता उदा गूर्जर निवासी नोगंवा तहसील शाहपुर
8– हरजी पिता पन्ना गूर्जर निवासी नोगंवा तहसील शाहपुर
9– भोजा पिता राजू गूर्जर निवासी नोगंवा तहसील शाहपुर
10– रामेश्वर पिता धन्ना जाट निवासी ढीकोला तहसील शाहपुर
11– गमानी पत्नी भोजा गूर्जर निवासी नोगंवा तहसील शाहपुर
12– नाना पिता घीसा गूर्जर निवासी नोगंवा तहसील शाहपुर
13– तहसीलदार शाहपुरा जिला भीलवाडा
14– शाखा प्रबंधक बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा ढीकोला तहसील शाहपुरा

– विपक्षीगण

उपस्थिति :– श्री योगेन्द्र सिंह भाटी
अधिवक्ता प्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट, 1956

–:: निर्णय ::–

दिनांक– 12.12.2022

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत विरूद्ध विपक्षीगण के प्रस्तुत किया गया, जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है – ग्राम **नोगांवा पटवार हल्का ढीकोला** तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा में स्थित **आराजी नम्बर 102 रकबा 0.31 है0, 103 रकबा 0.18 है0, 104 रकबा 1.10 है0, 105 रकबा 0.76 है0, 105/721 रकबा 0.59 है0, 106 रकबा 0.62 है0, 107 रकबा 0.31 है0, 107/751 रकबा 0.01 है0, 108 रकबा 0.30 है0, 109 रकबा 0.17 है0, 110 रकबा 0.36 है0, 111 रकबा 0.55 है0, 112 रकबा 0.09 है0, 113 रकबा 0.23 है0, 114 रकबा 0.01 है0, 115 रकबा 0.04 है0, 116 रकबा 0.32 है0, 168 रकबा 0.25 है0, 169 रकबा 0.23 है0** कुल किता **19** रकबा **6.43** हैक्टेयर का **प्रार्थी संयुक्त खातेदार** काश्तकार है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण पडौसी है। **प्रार्थी** एवं **विपक्षीगण** के मध्य आराजी के सीमाचिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा सम्बन्धी विवाद उत्पन्न होता रहता है। अतः पत्थरगढ़ी करवाई जावें।

प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर **विपक्षीगण** को जरिये सम्मन तलब किया गया। **विपक्षीगण** बावजूद सूचना उपस्थित नही होने से एकतरफा कार्यवाही की जाकर बहस अभिभाषक **प्रार्थी** सुनी गई। हमने पत्रावली का एवं प्रस्तुत खाते की नकल जमाबन्दी **ग्राम नोगांवा पटवार हल्का ढीकोला संवत 2075 से 2078** तक का अवलोकन किया। उपरोक्त वर्णित आराजीयात् **प्रार्थी के संयुक्त खातेदारी में** दर्ज होकर अपनी आराजीयात की पत्थरगढ़ी कराना चाहता है। अतः **प्रार्थी** द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा **नोगांवा** में स्थित **प्रार्थी** की उपरोक्त **संयुक्त खातेदारी** की आराजीयात् **किता 19 रकबा 6.43 हैक्टेयर** की पुख्ता पत्थरगढ़ी पक्षकारान् की मौजूदगी में अगर मौके पर अन्य कोई विवाद न हो तो व कोई प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन न हो तो कब्जे में हस्तक्षेप नहीं करते हुये पत्थरगढ़ी किये जाने हेतु तहसीलदार शाहपुरा को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। पत्थरगढ़ी हेतु कमिश्नर **फीस 2000/– रूपये** कायम किये जाते है, जो प्रार्थी से तहसीलदार शाहपुरा मौके पर प्राप्त करें। पत्थरगढ़ी मौका पर्चा पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम से हो। बाद तफसील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक **12.12.2022** को सरे इजलास सुनाया गया।

(सुनिता यादव)
उपखण्ड अधिकारी
एवं सहयक कलक्टर
शाहपुरा जिला भीलवाड़ा

प्रतिलिपि :– तहसीलदार शाहपुरा के पास भेजकर लेख है कि मुताबिक आदेश पक्षकारान् की मौजूदगी में नियमानुसार पत्थरगढ़ी की जाकर पालना रिपोर्ट शीघ्र भिजावें।

उपखण्ड अधिकारी
एवं सहायक कलक्टर
शाहपुरा जिला भीलवाड़ा